दुधारू पशुओं की ब्याज मुक्त मिनी कामधेनु डेयरी योजना

प्रदेश में उच्च उत्पादक क्षमता वाले गोवंशीय एवं महिषवंशीय दुधारू पशुओं के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त मिनी कामधेनु डेयरी योजना वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ की गई है। 50 दुधारू पशुओं (गाय/भैंस) की इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। दुधारू पशुओं में संकर जर्सी, संकर फ्रीजियन अथवा साहीवाल प्रजाति की गाय तथा भैंस में केवल मुर्रा प्रजाति की भैंसों की इकाई स्थापित की जाती है। पशुपालक अपनी इच्छानुसार इकाई में गाय अथवा भैंस रख सकते हैं। कामधेनु योजना (50 दुधारू पशुओं) में एक इकाई की पूर्ण लागत रू0 50.58 लाख है। इकाई लागत का 25 प्रतिशत (रू0 12.64 लाख) लाभार्थी को मार्जिन मनी के रूप में वहन करना होता है तथा 75 प्रतिशत (रू0 37.94 लाख) बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त किया जाता है। मिनी कामधेनु योजना में बैंक से लिये गये ऋण पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 05 वर्षों (60 माह) ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 13.66 लाख दिया जाता है। सिर्फ गाय की डेयरी स्थापित करने तथा निर्धारित अवधि में यूनिट पूर्ण करने पर इस योजना में 2.50 लाख रूपया अनुदान स्वरूप दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना में प्रदेश में मार्च 2017 में 1500 लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं तथा 1469 इकाईयां क्रियाशील हो चुकी हैं, जिसमें 54709 से अधिक उच्च गुणवत्ता के दुधारू पशु क्रय किये जा चुके हैं, जिनसे प्रदेश में प्रतिदिन 423871 लीटर अतिरिक्त दूध का उत्पादन हो रहा है। इस योजना में अब तक 750 करोड़ रूपये का प्रत्यक्ष निवेश हुआ है तथा 7500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

श्री हितेन्द्र शंखधार की मिनीकामधेनु डेयरी जनपद बदायूं

श्री वेद प्रकाश यादव की मिनी कामधेनु डेयरी जनपद आगरा